



भा. कृ. अनु. प. — केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 -2787152(AAO) / FAX: 0291 - 2788706



फाइल संख्या 11(7)2020-21/प्रशासन चतुर्थ/

दिनांक : 17.10.2020

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अ.प. — केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलोजी पार्क तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के बगीचों में ऑवला की विभिन्न किस्मों के लगभग 295 संख्या में ऑवला के फल युक्त पेड़ लगे हैं। इन ऑवला फलों की नीलामी, फलों की ऋतु वर्ष 2020-21 (माह नवम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि) के लिए दिनांक 27.10.2020 को दोपहर :02.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व षर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध हैं। यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक



भा. कृ. अनु. प. — केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ mail:aaostoreadmiv@gmail.com



F.No. 11(3)2020-21/Admn. IV/

Dated the 17.10.2020

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : **27.10.2020** समय दोपहर 2.30 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : **27.10.2020** समय दोपहर 3.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.—के०शु०क्ष०३०४०३० (काजरी),
जोधपुर । (राज०) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् _____

विषय:-के०शु०क्ष०३०४०३०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की ऋतु वर्ष 2020-21 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.—के०शु०क्ष०३०४०३०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों (मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलोजी पार्क, कृषि विज्ञान केन्द्र) में ऑवला के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2020-21 के लिए मुहर बन्दनिविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 27.10.2020 समय दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहुँच जानी चाहिए। निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

भवदीय,

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	ऑवला पेड़ों की संख्या
1.	इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के विभिन्न बगीचों (मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी पार्क, कृषि विज्ञान केन्द्र) में विभिन्न किस्मों के ऑवला के लगभग 295 पेड़ हैं। ऑवला फल तुड़ाई हेतु माह नवम्बर 2020 से 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध होंगे।	लगभग 295 पेड़ (जो कि क्रमशः 250 पेड़ मुख्य बागवानी क्षेत्र जिनमें 70 पेड़ टेक्नोलॉजी पार्क के भी इसमें सम्मिलित है तथा 45 पेड़ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर में)

नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (**Minimum Reserve Price**) रूपये **1,80,000** रखा गया है। इस सरकारी मूल्य से कम मूल्य कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑवला फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 5000.00 ICAR Unit- CAZRI Jodhpur” के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. (if applicable) ऑवला के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार /फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त ऑवला के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं।
4. निविदा सीलबन्ड लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर ऑवला फलों की नीलामी के लिए निविदा अवश्य लिखें। निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी।
5. सफल या उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय में इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थितिमें अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण व्यौरा रखा जायेगा। फलों की तुड़वाई ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगेर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
6. ऑवला की नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं शेष आधी राशि फलों की पहली तुड़वाई के दिन जमा करनी होगी।
7. ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी।
8. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं।
9. ऑवला फलों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा।
10. निरेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की माहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है।
12. ऑवला पेड़ों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी।
13. नीलामी की अन्य अन्य शर्तें नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्य प्रभारी अधिकारी, वानिकी/Dr. P.R. Meghwal, Principal Scientist (Hort.) के निर्देशानुसार करने होंगे।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये। बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी।
15. नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलामी कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाये जाने पर निरेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी।
16. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा ऑवला के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निरेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी।
17. ऑवला फल नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व ऑवला फल ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी।
18. ऑवला पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे।
19. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निरेशक, को०शु०क्षे०अ०सं०, जोधपुर को होगा।
20. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा।
21. इस नीलामी में ऑवला फल तौड़ने की अवधि नीलामी की दिनांक से 31 मार्च, 2021 तक वैद्य रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी।

ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. ऑवला फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/-अमानत राशि नकद या ड्राफट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा । अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाइल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए । होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. ऑवला पेड़ों के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यों तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यों, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिछु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – के० शु० क्षे० अ० सं० (काजरी) का होगा ।
10. ऑवला फलों संबंधी नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को ऑवला पेड़ों के रख-रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ऑवला फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा ऑवला फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वाछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. ऑवला फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण **अनुसरण/निवार्ह** करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों तथा पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है तथा इस परिसर में धुम्रपान/ मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन निषेध है । ऑवला फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार अथवा उनके श्रमिक/व्यक्ति द्वारा काजरी परिसर ऐसा कृत्य करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध /अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध सरकारी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. **COVID-19** नोवल कोरोना कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, दिशा निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी ।
16. ऑवला फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में ऑवला फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी ।
17. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है ।
18. संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक ऑवला फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में लगाने होंगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं है तथा उन सभी श्रमिकों को मुँह पर मास्क, फेश कवर/शील्ड, दास्ताने तथा हेण्ड सेनेटाईजर इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा ।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ वास्ते निदेशक

Annexure-I

फर्म/एजेन्सी का विवरण

1. निविदादाता फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राइटर का नाम :
2. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पूर्ण पता : मैसर्स
.....
.....(a copy of address proof document duly self attested should be attached).
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.
(ब) ई.मेल पता :
4. फर्म/एजेन्सी का विवरण :
(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर :
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :
(photocopy duly self attested should be attached)
7. फर्म के बैंक का नाम व पता :
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर : बैंक खाता नम्बर:
(सही सूचना के लिए निरस्त चैक की छाया प्रति संलग्न करें)
8. बिड सिक्युरिटी (Earnest Money)रु. 5,000.00 डी0डी0 नम्बर: दिनांक:
बैंक का नामजो कि “ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur” के पक्ष में देय हो ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर

Signature of the bidder with seal

नोट :निविदा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 27.10.2020 को दोपहर 2.30 बजे तक या इससे पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग-चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर “ऑवला फलों की नीलामी के लिए निविदा” लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : www.cazri.res.in देखें ।